

# प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय हवेली खड़गपुर, मुंगेर।

(नरेन्द्र कुमार)  
प्रभारी प्राचार्य

—सह—

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी,  
योजना एवं लेखा, मुंगेर

Gmail- ptechavelikharagpur@gmail.com

प्रेषक,

पत्रांक.....24..... /

प्रभारी प्राचार्य,  
प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय, हवेली खड़गपुर, मुंगेर।  
सेवा में,

—प्रथम सूची के सभी चयनित आवेदक—

हवेली खड़गपुर, मुंगेर, दिनांक:—...03..... / ...02..... / 2021  
विषय:—दो वर्षीय सेवा पूर्व शिक्षक प्रशिक्षण डी0एल0एड0 पाठ्यक्रम के नियमित सत्र 2020-22 में नामांकन के संबंध में।

महाशय,

सूचित करना है कि दो वर्षीय सेवा पूर्व शिक्षक प्रशिक्षण (डी0एल0एड0 पाठ्यक्रम) के नियमित सत्र 2020-22 में नामांकन के लिए आपका चयन बिहार राज्य आरक्षण नियामावली के आलोक में किया गया है। चयन संबंधी सूचना फोनकॉल/ई-मेल/WhatsApp/SMS के द्वारा भेजी जा चुकी है। अतएव आप दिनांक—...05..... / ...02..... / 2021 से दिनांक—...08..... / ...02..... / 2021 तक कार्यालय अवधि (10:00 बजे से 5:00 बजे तक) में महाविद्यालय में उपस्थित हो कर नामांकन हेतु अपना दावा कर सकते हैं। उपरोक्त तिथि तक नामांकन नहीं कराने अथवा संबंधित श्रेणी/कोटि जिसमें नामांकन हेतु चयन किया गया है। उससे संबंधित मूल एवं अन्य प्रमाण-पत्र उपलब्ध नहीं कराने की स्थिति में आपका दावा स्वतः समाप्त समझा जाएगा।

आप उपरोक्त निर्धारित तिथि को निम्नांकित अभिलेख के साथ उपस्थित होना सुनिश्चित करेंगे —

- (1) ऑनलाइन आवेदन प्रिंट की मूल प्रति।
- (2) मैट्रिक/समकक्ष एवं इन्टरमीडिएट/समकक्ष का मूल अंक-पत्र एवं मूल प्रमाण-पत्र।
- (3) अंतिम संस्थान/महाविद्यालय परित्याग-पत्र/स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र की मूल प्रति।
- (4) आवासीय प्रमाण-पत्र की मूल प्रति (एक वर्ष से अधिक पुराना ना हो)
- (5) जाति प्रमाण-पत्र की मूल प्रति (हाल का बना हुआ)
- (6) दिव्यांग प्रमाण-पत्र की मूल प्रति (केवल दिव्यांग अभ्यर्थी के लिए)
- (7) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का मूल प्रमाण-पत्र (केवल आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षित कोटि सक्षम पदाधिकारी से निर्गत)
- (8) अनारक्षित एवं अन्य के लिए 11500/- (ग्यारह हजार पाँच सौ रुपये) एवं SC/ST एवं दिव्यांगों के लिए 7000/- (सात हजार रुपये) मात्र (नामांकन हेतु ऑनलाइन के माध्यम से पेमेंट का प्रिंट आउट प्रमाण)
- (9) चिकित्सा/स्वस्थता प्रमाण-पत्र (रजिस्टर्ड चिकित्सक के द्वारा निर्गत)
- (10) चार पासपोर्ट साइज एवं दो स्टाम्प साइज रंगीन फोटो।
- (11) सभी प्रमाण-पत्रों की दो-दो स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति के साथ मूल प्रमाण-पत्रों को एक फोल्डर फाईल में लाना अनिवार्य है।
- (12) शपथ पत्र में इस आशय की घोषणा की (क) शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्र वैध है (ख) अन्यत्र कहीं नामांकित नहीं हूँ एवं कहीं अन्यत्र नौकरी नहीं करने, गलत सूचना के लिए मेरा नामांकन रद्द करते हुए कानूनी कार्रवाई के लिए स्वयं जिम्मेवार होऊंगा।
- (13) संस्थान द्वारा निर्धारित ड्रेसकोड का अनुपालन करना अनिवार्य होगा, नामांकन शुल्क किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं किया जायेगा एवं यह पत्र मात्र अभ्यर्थियों के नामांकन हेतु पात्रता का द्योतक है, नामांकन की अनिवार्यता का नहीं।

प्रभारी प्राचार्य

प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय हवेली खड़गपुर, मुंगेर।

—सह—

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी,  
योजना एवं लेखा, मुंगेर।